



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,
ज़िला -
राज्य के का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/ का प्रमाण-पत्र /
दिनांक:
आवेदक का आधार नम्बर :
आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या :
यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 श्री राजस्थान राज्य के जिला पता- के की निवासी है तथा ये और वा इनका कुटुम्ब यहाँ स्थायी रूप से निवास करता है/ करती है/ करते हैं।
- 02 उक्त राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर एफ डी पी/एस.जे ई डी /09/ दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से () वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03 उक्त आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के किमीनेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीनेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की है।

- नोट:
- 1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.प.11(164) एस.जे ई डी /09/ दिनांक 25/08/2009 से जारी किया गया है।
 - 2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र निकालने के लिए उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेज के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रामाणिकता के सत्यापन में कोई किरादा होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
 - 3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रमाण-पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उक्त अधिकारी निम्न दस्तावेजों में से जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगे।
 - 4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल दस्तावेज है। अतः सभी कार्यो के लिये श्रेय्य है।
 - 5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.e-governance.rajasthan.gov.in पर स्थित on-line verification section में online सत्यापित किया जा सकता है। टीकन संख्या

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,

Signature valid

Digitally signed by
MOHAN LAL
PRATNAR
Date: 2017.08.30
18:42:23 +05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



170045656064

15003358